तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

28/12/2022

अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। यह अपील सहायक कलेक्टर रानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2017 बउनवान विलासवन बनाम गीता में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट विलासवन ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया व अनुतोष चाहा कि ग्राम खिवाड़ा तहसील रानी जिला पाली के खसरा नम्बर 715/1453, 716, 717, 718/1455, 719/1457 कुल रकबा 3.87 हैक्टेयर खातेदारी में से बेचान हस्तान्तरण नहीं करे, रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। रेकर्डेड खातेदार काश्तकार को उसके हक हकुक की भुमि का उपयोग उपभोग एवं व्ययन करने का कानूनन अधिकार है। विधि अनुसार न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित होने के 30 दिन के भीतर अंतिम निस्तारण करना आवश्यक होता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण ने अपने आदेश दिनांक 22.06.2017 में यह अंकित किया है कि– "प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 rt act एवं आदेश 39 नियम 1व 2 धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। ग्राम खिवाड़ा के ख0 नं0 715/1453, 716, 717, 718/1455, 719/1457 कुल रकबा 3.87 हैक्टर खातेदारी भूमि में आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थायी निषेधज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4, 6 के इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण बेचान व हस्तांतरण नहीं करे, न ही किसी अन्य से हस्तक्षेप दखल करावे। मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे।'' न्यायालय सहायक कलक्टर रानी के द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात पर आदेश दिनांक 22.06.2017 पारित करते हुऐ स्थगन आदेश जारी कर दिया। इस प्रकार आलोच्य आदेश अंतरिम आदेश है और मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 न्यायालय सहायक कलक्टर रानी में लम्बित है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का निर्णय वाद के अन्तर्गत बाद साक्ष्य होगा परन्तु न्यायालय सहायक कलेक्टर रानी के द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3(अ) के तहत बनाये गये प्रावधानों की खुलेआम अनदेखी की गई है। आदेश दिनांक 22.06.2017 को पारित किये जाने के बाद पेशी दिनांक 04.08.2017 नियत की गई। जिसके पश्चात् दिनांक 07.09.2017, 26.10.2017, 06.12.2017, 24.01.2018, 22.02.2018, 22.03.2018, 04.05.2018, 26.06.2018, 21.08.2018 की पेशीयां नियत की गई है जबकि उपरोक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय 30 दिवस के भीतर किया जाना चाहिए था जो आज दिवस तक नहीं हुआ है। रेंस्पोडेण्ट के द्वारा मात्र अपीलाण्ट को परेशान करने की नियत से उपरोक्त प्रकरण में आगामी कार्यवाही नहीं की जा रही है और न्यायालय के द्वारा भी आदेश 39 नियम 3 (क) जा.दी. के प्रावधानों की अवहेलना की जा रही है। एक माह के अन्दर निस्तारण नहीं करने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी को आदेशिका में उसका कारण स्पष्ट करना आवश्यक है। सहायक कलेक्टर रानी से यह अपेक्षित था कि दोनों पक्षों को सुनकर उनके समक्ष लम्बित धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण 30 दिन की अवधि में करते। उनके समक्ष लम्बित धारा 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण नहीं किया जाकर सिर्फ आगामी तारीख पेशियां दी जा रही है, जिसे न्याय की दृष्टि में विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। उक्त मत को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की फुल बैन्च ने 2014 डी एन जे पेज 67 में व्यक्त किया है जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– The Trial Court shall be under obligation to dispose of the

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

application of temporary injunction on merits within 30 days of passing such ex parte order as per Rule 3-A of order 39 of the Code.

अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 22.06.2017 को विधि के प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों द्वारा स्थापित न्यायिक सिद्धांत – "जहां कोई व्यादेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना दिया गया है वहां न्यायालय आवेदन को ऐसी तारीख से जिसको व्यादेश दिया गया था, 30 दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा और जहां ऐसा करने में असमर्थ है वहां वह ऐसी असमर्थतता के लिए कारण अभिलिखित करेगा।" की पालना नहीं करना कतई उचित नहीं है। अतः उनके आदेश दिनांक 22.06.2017 को निरस्त किया जाता है। न्यायालय सहायक कलक्टर रानी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर एक माह के अन्दर विधि अनुसार अंतिम निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। उक्त निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली